न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 03 / 23

उमेश कुमार सागर एडवोकेट, निवासी प्लॉट नं. 11 सी, जागृति नगर सतगुरू कॉलोनी द्वारा नं. 2, अजय नगर, अजमेर राज0

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी कुम्हेर जिला भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 08.02.2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट उमेश कुमार सागर एडवोकेट, निवासी प्लॉट नं. 11 सी, जागृति नगर सतगुरू कॉलोनी द्वारा नं. 2, अजय नगर, अजमेर राज0 की अपील लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी कुम्हेर जिला भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है। कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई ळें

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 2023 / 93 दिनांक 25.01.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत् रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी कुम्हेर से प्राप्त जबाब को शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में कथन किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी कुम्हेर के पत्रांक सू.अ.अ. / 22 / 230 दिनांक 06.02.2023 का अवलोकन किया गया, जबाब में अंकित तथ्यों से जाहिर आया कि आप द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी ने जरिये पत्रांक सू.अ.अ. / 22 / 1130 दिनांक 16.12.22 से आपको सूचित कर दिया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी कुम्हेर के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति संलग्न) प्रेषित की जावे।, इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर